प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पैरा मेडिकल कालेज, झांसी हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/764, दिनॉक 21.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 मे पैरा मेडिकल कालेज, झांसी हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 209.91 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2210-05-789-03-03-पैरा मेडिकल कालेज, झांसी हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कुल धनराशि **रू0 209.91 लाख (रू0 दो करोड़ नौ लाख इक्यानवे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (प्रस्तर-3 एवं संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में नहीं की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210057890303 (पैरा मेडिकल कालेज , झांसी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2210057890303 पैरा मेडिकल कालेज , झांसी	01 वेतन	51,78,000 (रुपये इक्यावन लाख अठहत्तर हजार मात्र)
2	083	2210057890303 पैरा मेडिकल कालेज , झांसी	03 महगाई भत्ता	28,98,000 (रुपये अट्ठाइस लाख अट्ठानबे हजार मात्र)
3	083	2210057890303 पैरा मेडिकल कालेज , झांसी	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,29,15,000 (रुपये एक करोड़ उन्तीस लाख पंद्रह हजार मात्र)
	कुल			**2,09,91,000** **(रुपये दो करोड़ नौ लाख इक्यानबे हजार मात्र)**

महायोग	2,09,91,000 (रुपये दो करोड़ नौ लाख इक्यानबे हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 21-03-2023 16:27:36
Reason: Approved

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या/तद्यदिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झांसी।
5. संयुक्त सचिव (श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
7. समाज कल्याण विभाग।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/ स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2022-23-71-1002-27/2023-

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
83	2210057890305 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर)	01- (वेतन)	29,79,30,000 रूपये उन्तीस करोड़ उनासी लाख तीस हजार मात्र	4,90,91,000 रूपये चार करोड़ नव्वे लाख इक्यानवे हजार मात्र	2,09,91,000 रूपये दो करोड़ नौ लाख इक्यानवे हजार मात्र		27,69,39,000	2022-23

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
83	2210057890303 (पैरा मेडिकल कालेज, झांसी)	01 (वेतन)	82,40,000 रूपये बयासी लाख चालीस हजार मात्र	51,78,000 रूपये इक्यावन लाख अट्ठाहत्तर		1,34,18,000	2022-23

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				हजार मात्र			
83	2210057890303 (पैरा मेडिकल कालेज, झांसी)	17 (किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व)	8,00,000 रूपये आठ लाख मात्र	1,29,15,000 रूपये एक करोड़ उनतीस लाख पन्द्रह हजार मात्र		1,37,15,000	2022-23
83	2210057890303 (पैरा मेडिकल कालेज, झांसी)	03 (मंहगाई भत्ता)	30,49,000 रूपये तीस लाख उनचास हजार मात्र	28,98,000 रूपये अटठ्ईस लाख अट्ठानवे हजार मात्र		59,47,000	2022-23

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज , अम्बेडकर नगर के अंतर्गत मानक मद-01-वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 209.91 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

निदेशक , पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी ने अपने पत्र दिनांक 18.01.2023 के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में कालेज में तैनात कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु रू0 51.78 लाख, 03-महॅगाई भत्ता में रू028.98 लाख एवं 17-किराया , उपशुल्क और कर स्वामिस्व में रू0 129.15 लाख , इस प्रकार कुल रू0 209.91 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किया जाना है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-1-बजट-536-2022-23, दिनांक 19 मार्च, 2023

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

(पवित्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0, लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. समाज कल्याण विभाग।
8. गार्ड फाइल।

Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 21-03-2023 16:28:11
Reason: Approved

आज्ञा से,
(सत्य प्रकाश सिंह)
अनु सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।